कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल. (म0प्र0)

–::परिपत्र::–

क्रमांकः-.5065../2024 भोपाल, दिनॉकः-.16.-07-2024

प्रति,

विशेष न्यायाधीश,
समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,
समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,
भोपाल एवं सिविल न्यायाल–बैरसिया,
जिला–भोपाल. (म0प्र0)

विषय :– निराकृत साम्पत्तिक/दाण्डिक प्रकरणों के अभिलेख निर्धारित समयावधि में अभिलेखागार में प्रविष्ट कराये जाने बाबत्।

****

यह तथ्य मेरे संज्ञान में लाया गया है, कि अभिलेखागार, जिला न्यायालय, भोपाल में प्रविष्ट निराकृत प्रकरणों के अभिलेख जब किसी विविध कार्यवाही अथवा भुगतान संबंधित कार्यवाही या अन्य किसी कार्यवाही हेतु मांग–पत्र के अधीन आहुत जाते हैं, तब संबंधित न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत भी आहुत किया गया प्रकरण निरर्थक रूप से निर्धारित समयावधि में अभिलेखागार में पुनः प्रविष्ट नहीं कर न्यायालय में ही रख लिये जाते हैं। उक्त प्रकरण न्यायालय में रखे होने से अभिलेखागार की दैनिक कार्यवाही प्रभावित होती है, वहीं प्राप्त होने वाले प्रतिलिपि आवेदन–पत्रों का भी समय से निराकरण नहीं हो पाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि अभिलेखागार से प्राप्त ऐसे समस्त साम्पत्तिक एवं दाण्डिक प्रकृति के निराकृत प्रकरण जो वांछित कार्यवाही होने के उपरांत भी न्यायालयों में रखे हुये हैं, उन्हें इस परिपत्र जारी होने की तिथि से 07 दिवस की समयावधि के अंदर अनिवार्य रूप से अभिलेखागार में पुनः प्रविष्ट करवाया जाये। निर्धारित समयावधि के पश्चात् ऐसे किसी भी प्रकरण को संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के स्पष्टीकरण के बिना अभिलेखागार में प्रविष्ट नहीं कराया जा सकेगा।

इस परिपत्र का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित् किया जाये।

(अमिताभ मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला न्यायालय, भोपाल. (म0प्र0)

कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक 5066/दो–12–01/2022 भोपाल दिनांक 16/7/2024

प्रतिलिपिः–

प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार अनुभाग भोपाल की ओर भेजकर अपेक्षित है कि प्रधान अभिलेखापाल/सहायक अभिलेखापाल भोपाल को कर्तव्य का पालन सुनिश्चित कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को निर्देशित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल(म.प्र.)